ए.

गुजरात राज्य और अन्य बनाम।

आर. जे. पठान और अन्य (2022 की सिविल अपील संख्या 1951) 24 मार्च, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-नियमितकरण-उत्तरदाताओं को एक अस्थायी परियोजना में नियुक्त किया गया था-प्रारंभिक नियुक्ति एक निश्चित वेतन पर ग्यारह महीने के लिए थी, जिसे समय-समय पर जारी रखा जाता था-हालाँकि, उक्त इकाई को बंद करने की आवश्यकता थी, जो कि एक अस्थायी इकाई थी, उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने के बजाय, राज्य सरकार ने उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में स्थानांतरित करना और रखना उचित समझा-इस स्तर पर, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ उनकी नियुक्ति को चुनौती दी-एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया-उत्तरदाताओं ने एल. पी. ए. दायर किया-2011 में, खंड पीठ ने अंतरिम राहत दी और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और इसके अनुसार उत्तरदाताओं को सरकार के साथ सेवा में जारी रखा गया-2021 में, जब उक्त एल. पी. ए. लिया गया था।इस तरह का निर्देश जारी करते समय, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादियों को एक अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में जारी रखा गया था-खंड पीठ ने यह भी नहीं माना कि प्रतिवादियों को शुरू में ग्यारह महीने के लिए और एक निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था और वह भी, केवल भूकंप के बाद पुनर्वास के उद्देश्य से बनाई गई एक अस्थायी इकाई में-जिन पदों पर प्रतिवादियों को नियुक्त किया गया था और काम कर रहे थे, वे सरकार के किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पद नहीं थे-इसलिए, खंड पीठ द्वारा उन्हें सरकारी सेवा में शामिल करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था-खंड पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों की सेवाओं को अवशोषित और/या नियमित करते हुए भी, ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

780

781

गुजरात राज्य और अन्य बनाम आर. जे. पठान और अन्य ए

राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकती है-अतिरिक्त पदों का सृजन करने का ऐसा निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है-जाहिर है, डिवीजन बेंच के साथ जो बात भारी थी वह यह थी कि उत्तरदाताओं को लंबे समय तक सेवा में रखा गया था, यानी 17 साल-डिवीजन बेंच ने हालांकि इस बात पर विचार नहीं किया कि 17 वर्षों में से, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 10 साल तक सेवा में बने रहे-यहां तक कि उमादेवी * में निर्णय पर विचार करते हुए, जिस अवधि के लिए कर्मचारी अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में बने रहते हैं, उसे बाहर रखा जाना है-उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू को पूरी तरह से छोड़ दिया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित आदेश, तदनुसार बहाल किया गया।

बी.

सी.

सेवा कानून-नियमितीकरण-उमादेवी * मामला-जब लागू हो-आयोजितः उमादेवी * में निर्णय का उद्देश्य और इरादा था, (1) भविष्य में अनियमित या अवैध नियुक्तियों को रोकना, और (2) उन लोगों को लाभ प्रदान करना जिन्हें अतीत में अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था और जो बहुत लंबे समय तक बने रहे हैं-उमादेवी * का निर्णय उस मामले में लागू हो सकता है जहां नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां अनियमित हैं-यही बात किसी परियोजना/कार्यक्रम में की गई अस्थायी नियुक्तियों पर लागू नहीं होती है।

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है, वह यह है कि प्रत्यर्थियों को लंबे समय तक, यानी **17** साल तक सेवा में रखा गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि **17** वर्षों में से, उत्तरदाता उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार दस वर्षों तक सेवा में बने रहे।इसलिए, उमादेवी * के

मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए भी, जिस अवधि के लिए कर्मचारियों ने अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में बने रहना है, उसे बाहर रखा जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए।उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलू को पूरी तरह से छोड़ दिया।**[**पैरा **7] [787-**जी**-**एच**; 788-**ए**]**

एफ.

जी.

एच.

2. उमादेवी * का निर्णय ऐसे मामले में लागू हो सकता है जहां नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां अनियमित हों।यही बात किसी परियोजना/कार्यक्रम में की गई अस्थायी नियुक्तियों पर लागू नहीं होती है।**[**पैरा **8] [788-**सी**-**डी**]**

*कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी **(3), (2006) 4** एससीसी **1:**

[2006] 3 एस**.** सी**.** आर**. 953-**लागू नहीं होता है।

बी.

3. ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति एक अस्थायी इकाई में और एक अस्थायी अनुबंध के आधार पर और एक निश्चित अवधि के वेतन पर की जाती है और अस्थायी इकाई के बंद होने पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य पर प्रत्यर्थियों को दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का कोई कर्तव्य नहीं डाला गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी में उत्तरदाताओं को रखने के लिए काफी उदारता दिखाई, जिसे उत्तरदाताओं ने स्वीकार नहीं किया।**[**पैरा **9] [788-**एफ**-**जी**]**

सी.

4. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यह निर्देश दिया जाता है कि अवशोषण और नियमितीकरण का आदेश और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन, अन्य मामलों में एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।यहाँ तक कि ऐसा निर्देश भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ नहीं थीं जो उपरोक्त अवलोकन की पुष्टि करती हों।भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अवशोषण और/या नियमितीकरण का ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, भले ही अतिरिक्त पदों के

निर्माण के लिए आवश्यक हो और इसे पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता था।**[**पैरा **10] [788-**जी**-**एच**; 789-**ए**-**बी**]**

डी.

ई.

एफ.

नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य **(2018)**

8 एससीसी **238:[2018] 9** एस**.** सी**.** आर**. 412-**लागू नहीं होता है।संदर्भित निर्णय

[2006] 3 एस**.** सी**.** आर**. 953** लागू नहीं होने वाला पैरा **4.1 [2018] 9** एस**.** सी**.** आर**. 412** लागू नहीं होने वाला पैरा **4.1** ए

जी.

एच.

783

गुजरात राज्य और अन्य बनाम आर. जे. पठान और अन्य ए

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील सं. 1951।

2011 के विशेष सिविल आवेदन No.17328 में 2011 के लेटर्स पेटेंट अपील No.2082 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 18.02.2021 के निर्णय और आदेश से।

बी.

सुश्री दीपानविता प्रियंका, अपीलार्थियों की अधिवक्ता।कबीर हाथी, सुश्री जेसल वाही, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

सी.

1. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अहमदाबाद में लेटर पेटेंट अपील (संक्षेप में, 'एल. पी. ए.') संख्या में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त एल. पी. ए. को अनुमति दी है और राज्य को नियमित करने के लिए प्रतिवादियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन करके, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

डी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

कि यहाँ उत्तरदाताओं को अनुबंध के आधार पर ग्यारह महीने की अवधि के लिए एक निश्चित वेतन पर और एक विशेष परियोजना, अर्थात् गुजरात सरकार के "भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम" पर नियुक्त किया गया था।कि यहाँ उत्तरदाताओं को शुरू में वर्ष 2004 में ग्यारह महीने की अवधि के लिए चालक के पद पर नियुक्त किया गया था।जिस परियोजना में उत्तरदाताओं की नियुक्ति की गई थी, उसे बंद करने पर राज्य सरकार ने उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने के बजाय उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी की सेवाओं में रखने का निर्णय लिया।भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी में कर्तव्यों में शामिल होने के बजाय, उत्तरदाताओं ने अपनी सेवाओं को नियमित करने और सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए रिट याचिका संख्या 17328/2011 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी में उनकी नियुक्ति को भी चुनौती दी।

ई.

एफ.

जी.

2.1 विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति केवल ग्यारह महीने के लिए एक निश्चित वेतन पर की गई थी, जिसे समय-समय पर जारी रखा गया है, और जिस इकाई में वे थे

एच.

अस्थायी रूप से नियुक्त एक "परियोजना कार्यान्वयन इकाई" केवल "भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम" के लिए भूकंप के अनुसार पुनर्वास के उद्देश्य से थी और उन्हें नियमित रूप से सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी स्थायी स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था जहां रिट याचिकाकर्ताओं के पास कोई ग्रहणाधिकार होता है।

2.2 रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उत्तरदाताओं ने यहां उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एल. पी. ए. सं. 2082/2011 को प्राथमिकता दी।दिनांक 20.12.2011 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, यहाँ उत्तरदाताओं को राज्य सरकार के साथ सेवा में जारी रखा गया था और उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में स्थानांतरित भी नहीं किया गया था।उक्त एल. पी. ए. वर्ष 2021 में डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।डिवीजन बेंच के समक्ष, यहाँ प्रतिवादियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चूंकि वे लगातार सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं और उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में स्थानांतरित नहीं किया गया है और चूंकि वे अब तक सत्रह साल से काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार को सेवा में नियमितीकरण के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है क्योंकि लंबी अवधि बीत चुकी है।

बी.

सी.

डी.

2.3 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य/विभाग को निर्देश दिया है कि वे इसमें उत्तरदाताओं के मामलों को सहानुभूतिपूर्वक अवशोषित करने और नियमित करने के लिए विचार करें और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का निर्माण करके, केवल इस आधार पर कि इसमें उत्तरदाता-मूल रिट याचिकाएं अब तक सत्रह वर्षों से काम कर रही हैं।

ई.

2.4 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

एफ.

3. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपानविता प्रियंका ने जोरदार ढंग से कहा है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य को प्रतिवादियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन करके विचार करने का निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की है।

जी.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि उत्तरदाताओं को शुरू में चालक के पदों पर और अस्थायी परियोजना में केवल पुनर्वास के उद्देश्य से ग्यारह महीने की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

एच.

भूकंप के लिए, अर्थात्, "भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम" और उन्हें कभी भी किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में और/या किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में किसी भी स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उन्हें अवशोषण/नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

3.2 गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या इस पर विचार नहीं किया है कि 2011 के बाद, उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार जारी रखा गया था।इसलिए, जब उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में जारी रखा गया था और विभाग ने उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी रखा था, तो उसके बाद उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि उन्होंने सत्रह साल से अधिक समय तक (अंतरिम आदेश के तहत) काम किया है और इसलिए उन्हें सेवा में शामिल किया जाना है और/या नियमित किया जाना है।

बी.

सी.

3.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

डी.

4. उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कबीर हाथी ने वर्तमान अपील का विरोध किया है।

ई.

4.1 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है

कर्नाटक बनाम उमादेवी (3), (2006) 4 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किया गया, साथ ही,

नरेंद्र कुमार के मामले में इस न्यायालय का अगला निर्णय

तिवारी बनाम झारखंड राज्य, (2018) 8 एस. सी. सी. 238 (पैरा

7).उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार के साथ चालक के रूप में सत्रह वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य को सहानुभूतिपूर्वक और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन करके उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है।4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि उत्तरदाता सत्रह वर्षों से राज्य सरकार के साथ चालक के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें राज्य सरकार में शामिल किया जा सकता है और उनकी सेवाओं को नियमित किया जा सकता है।5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

एफ.

जी.

एच.

786

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसमें उत्तरदाताओं-मूल रिट याचिकाकर्ताओं को एक अस्थायी परियोजना में नियुक्त किया गया था, जिसे केवल "भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम" के लिए भूकंप के अनुसार पुनर्वास के उद्देश्य से बनाया गया था।उन सभी को शुरू में एक निश्चित वेतन पर ग्यारह महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, जो समय-समय पर किसी विशेष परियोजना/इकाई-"परियोजना कार्यान्वयन इकाई" की आवश्यकता तक जारी रहता था।हालाँकि, चूंकि उक्त इकाई को बंद करने की आवश्यकता थी, जो कि एक अस्थायी इकाई थी, इसलिए उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने के बजाय, राज्य सरकार ने उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ स्थानांतरित करना और रखना उचित समझा।इस स्तर पर, प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज कर दियाः

बी.

सी.

“यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के साथ सेवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि और वेतन पर सेवा कर रहे हैं, अब प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 4 में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति एक निश्चित वेतन पर केवल 11 महीने के लिए होती है जो समय-समय पर जारी रहता है और यहां तक कि जिस इकाई पर याचिकाकर्ताओं को अस्थायी रूप से नियुक्त किया

जाता है, वह एक 'परियोजना कार्यान्वयन इकाई' है जिसे केवल भूकंप के बाद के पुनर्वास के उद्देश्य से 'भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम' के लिए बनाया गया है।इस प्रकार, इकाई का स्वयं अस्थायी दर्जा और कार्यकाल होता है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को एक निश्चित अवधि और वेतन पर नियुक्त किया जाता है।यदि प्राधिकरण द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के साथ अपनी सेवाएं देने का निर्णय वेतन के साथ जारी रखा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम के तहत किसी भी सेवा शर्त का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी नियमित रूप से सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी स्थायी स्वीकृत पद पर कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाता है, जहां याचिकाकर्ताओं के पास कोई ग्रहणाधिकार है। याचिकाकर्ताओं का नियुक्ति न तो किसी वैधानिक नियम का उल्लंघन है और न ही दुर्भावनापूर्ण है।"

डी.

ई.

एफ.

6. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करने का आदेश वर्ष 2011 में दिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को प्रत्यर्थियों द्वारा एल. पी. ए. के माध्यम से चुनौती दी गई थी। वर्ष 2011 में, खंड पीठ ने अंतरिम राहत प्रदान की और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और उक्त अंतरिम आदेश के अनुसार, प्रतिवादियों को सरकार के साथ सेवा में जारी रखा गया।वर्ष 2021 में, जब ए

जी.

एच.

उक्त एल. पी. ए. को आगे की सुनवाई के लिए लिया गया था, उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अब तक उत्तरदाताओं ने सत्रह वर्षों तक काम किया है, राज्य को उन्हें सरकार में शामिल करने का निर्देश दिया जा सकता है और उनकी सेवाओं को नियमित किया जा सकता है।यह देखते हुए कि उत्तरदाताओं ने लंबे समय तक काम किया है, यानी सत्रह वर्षों तक, खंड पीठ ने राज्य को निर्देश दिया है कि वे उत्तरदाताओं के मामलों को अवशोषण/नियमित करने के लिए विचार करें और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन करें।हालांकि, इस तरह का निर्देश जारी करते समय, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार प्रतिवादियों को सेवा में जारी रखा गया था।डिवीजन बेंच ने इस तथ्य की भी सराहना नहीं की है

और/या इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि उत्तरदाताओं को शुरू में ग्यारह महीने की अवधि के लिए और एक निश्चित वेतन पर और वह भी एक अस्थायी इकाई-"परियोजना कार्यान्वयन इकाई" में नियुक्त किया गया था, जिसे केवल "भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम" के लिए भूकंप के अनुसार पुनर्वास के उद्देश्य से बनाया गया था।इसलिए, जिस इकाई में उत्तरदाताओं को नियुक्त किया गया था, वह स्वयं एक अस्थायी इकाई थी न कि एक नियमित प्रतिष्ठान।जिन पदों पर प्रत्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी और वे काम कर रहे थे, वे सरकार के किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पद नहीं थे।इसलिए, जब प्रत्यर्थियों को एक निश्चित अवधि और एक निश्चित वेतन पर एक अस्थायी इकाई में नियुक्त किया गया था, जिसे किसी विशेष परियोजना के लिए बनाया गया था, तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उन्हें सरकारी सेवा में शामिल करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तरदाताओं की सेवाओं को अवशोषित और/या नियमित करते समय भी, राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकती है।अतिरिक्त पदों को बनाने की ऐसी दिशा टिकाऊ नहीं है।इस तरह का निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।उच्च न्यायालय द्वारा उन कर्मचारियों के अवशोषण/नियमितीकरण के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जिन्हें एक अस्थायी इकाई में नियुक्त किया गया था जो एक विशेष परियोजना के लिए बनाई गई थी और वह भी अतिरिक्त पदों का सृजन करके।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है, वह यह है कि प्रत्यर्थियों को लंबे समय तक, यानी सत्रह साल तक सेवा में रखा गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि सत्रह वर्षों में से, उत्तरदाता उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार दस वर्षों तक सेवा में बने रहे।इसलिए, उमादेवी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी विचार करते हुए, जिस अवधि के लिए कर्मचारियों ने काम करना जारी रखा है।

जी.

एच.

अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में बाहर किया जाना है और गिना नहीं जाना है।उच्च न्यायालय उपरोक्त पहलू से पूरी तरह चूक गया है।8. अब, जहाँ तक उमादेवी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और उसके बाद के निर्णय पर निर्भरता है,

नरेंद्र कुमार तिवारी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने भरोसा किया

प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के संबंध में, उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।उमादेवी (उपरोक्त) में निर्णय का उद्देश्य और इरादा था, (1) भविष्य में अनियमित या अवैध नियुक्तियों को रोकना, और (2) उन लोगों को लाभ प्रदान करना जिन्हें अतीत में अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था और जो बहुत लंबे समय तक बने रहे हैं।उमादेवी (उपरोक्त) का निर्णय ऐसे मामले में लागू हो सकता है जहां नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां अनियमित हों।यही बात किसी परियोजना/कार्यक्रम में की गई अस्थायी नियुक्तियों पर लागू नहीं होती है।

बी.

सी.

8.1 नरेंद्र कुमार तिवारी (ऊपर) के मामले में भी

डी.

यह अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों का मामला था।अन्यथा भी, देखने में

नरेंद्र कुमार तिवारी (ऊपर) के तथ्य और परिस्थितियाँ,

उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।इस न्यायालय के समक्ष मामला झारखंड राज्य के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में था जो केवल 15.11.2000 पर बनाया गया था और इसलिए अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि कोई भी 10.04.2006 की कट-ऑफ तिथि पर झारखंड राज्य के साथ दस साल की सेवा पूरी नहीं कर सकता था, जो झारखंड राज्य के संबंधित नियमों के तहत निर्धारित कट-ऑफ तिथि थी।9. अन्यथा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि आवश्यक नहीं है, राज्य ने उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने के बजाय, कृपापूर्वक उत्तरदाताओं को भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी में रखा।राज्य पर उन्हें किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का कोई कर्तव्य नहीं लगाया गया था, ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति एक अस्थायी इकाई में और एक अस्थायी अनुबंध के आधार पर और एक निश्चित अवधि के वेतन पर की जाती है और अस्थायी इकाई के बंद होने पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है।हालांकि, राज्य सरकार ने भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी में उत्तरदाताओं को रखने के लिए काफी उदारता दिखाई, जिसे उत्तरदाताओं ने स्वीकार नहीं किया।10. उच्च न्यायालय की

खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर कहा है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यह निर्देश दिया जाता है कि अवशोषण और नियमितीकरण का आदेश और यदि आवश्यक हो, तो ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

789

गुजरात राज्य और अन्य बनाम आर. जे. पठान और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

अतिरिक्त पदों को अन्य मामलों में एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।यहाँ तक कि ऐसा निर्देश भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ नहीं थीं जो उपरोक्त अवलोकन की पुष्टि करती हों।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अवशोषण और/या नियमितीकरण का ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, भले ही अतिरिक्त पदों के निर्माण के लिए आवश्यक हो और इसे पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता था।

बी.

11. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अपास्त करनाने के योग्य है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 17328/2011 में पारित आदेश जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है, एतद्द्वारा बहाल विद्वान जाता है।

सी.

12. तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.